प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अयोध्या ।

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, अयोध्या ।

पत्रांकः– सी0एम0ओ0 / एन0सी0डी / 2021–22 / 113

दिनांक 23.06.2021

विषयः– सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम–2003 में निहित प्राविधानो के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु जनपद के समस्त नगर क्षेत्रो में **Vendor Licensing** की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाये, उ0प्र0 के पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021– 22 / 8927 दिनांक 14.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग–9 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1080 / नौ–9–21–121ज / 20, दिनाक 08 जून 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें (पत्र एवं ड्राफ्ट दिशा–निर्देश की छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन्–1950) की धारा–437, धारा–438 की उपधारा (1) के खण्ड–(घ) धारा–452 और धारा–541 के खण्ड–(20),(41) और (49) मे प्रदत्त शक्तियो के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदो को नगर निगम के सभी क्षेत्रो मे Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

आपके संज्ञान में लाना है कि नगर निगम अयोध्या के द्वारा पूर्व से ही इस प्रक्रिया को लागू करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है एवं तम्बाकू विक्रेताओं हेतु लाइसेंसिंग की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु बोर्ड की सहमति भी ली जा चुकी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप जनपद अयोध्या के समस्त नगर निगम / स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुये जनपद– अयोध्या के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अयोध्या ।

पत्रांकः– सी0एम0ओ0 / एनसीडी / 2021– 22 /

तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7 उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचित, नगर विकास विभाग, नगर विकास अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 शासन।
5. उपमहाप्रबन्धक, एनसीडी स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उ0प्र0।
6. राज्य नोडल अधिकारी, एनटीसीपी, लखनऊ उ0प्र0।
7. जिला अधिकारी महोदय, अयोध्या ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।
9. जिला क्षयरोग अधिकारी, / नोडल अधिकारी अयोध्या, ।
10. अधिशासी निदेशक, यूपीवीएचए लखनऊ को इस आशय के प्रेषित कि आप जनपद अयोध्या में लाइसेसिंग प्रणाली लागू किये जाने के लिये तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
11. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एनएचएम, अयोध्या ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अयोध्या ।